न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 15/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		हीरालाल पुत्र झूमरमल दर्जी निवासी–गायत्री चौराहा, अजमेर रोड, डेगाना। फर्म–मीरा फूड इण्डस्ट्रीज, टंकी पुरा, अजमेर रोड, डेगाना।

आदेश

दिनांक : 22.11.17

1. शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान–सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 5-04-2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

2(1). प्रार्थी दिनांक 24-09-2014 को दोपहर 04-00 बजे (PM) गश्त चैंकिंग के दौरान बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी अप्रार्थी की फर्म पर पंहुचा। वहां पर विक्रेता की हैसियत से हीरालाल मौजूद था। प्रार्थी ने अपना परिचय दिया, परिचय लिया, परिचय पत्र दिखाया। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो मौके पर मौजूद था।

2(2). यह कि आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर क्लास एडीवल फेट ब्राण्ड "सुपर सालासर" 1 Kg. पोली पैक में लगभग 55 किलोग्राम रखे हुए थे। निरीक्षण के दौरान मिलावट का शक होने पर इसकी जांच FSSA के तहत कराने के लिए 4 किग्रा (4 पैकेट मूल अवस्था में 4x1) खाद्य पदार्थ क्लास एडीवल फेट ब्राण्ड "सुपर सालासर" खरीदने की इच्छा जाहिर की एवं विक्रेता को प्रपत्र 5 ए भरकर दिया। दूसरे प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5 ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया कि यह नमूना वह वास्ते जांच FSSA Act के तहत खरीद रहा है। विक्रेता को रूपए 1000/– एक हजार रू. मात्र नगद देकर क्लास एडीवल फेट ब्राण्ड "सुपर सालासर" 250x1=1000/- खाद्य पदार्थ (4 पैकेट मूल अवस्था में 4x1) खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी व विक्रेता ने हस्ताक्षर किए।

2(3). यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से चार पैकेट मूल सीलबंद अवस्था में विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये। जिस पर डीओ कोड व सीरीयल नंबर क्यू–646 नाम व पता वस्तु का नाम नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। प्रार्थी, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज क्यू–646 हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी, नागौर की नियमानुसार प्रत्येक नमूने की बोतलों पर सिर से होते हुए नीचे पैंदों तक नमूनों को अलग अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गॉठ लगाई। प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार चार सील चपडी की लगाई एक नमूने के सिर पर एक पेंदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ लगाई एवं चारों नमूनों पर प्रार्थी ने हस्ताक्षर किए व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाए। गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबंद अवस्था में प्रार्थी ने अपने कब्जे में किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में प्रार्थी ने व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही प्रार्थी व विक्रेता के सामने मौके पर ही की गई।

2(4). यह है कि क्यू–646 नमूने के एक सीलबंद भाग को फार्म नम्बर 6 की प्रति को सील बंद लिफाफे में उम्मेद सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नागौर के साथ दिनांक 26-09-14 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

2(5). यह है कि क्यू–646 के नमूने के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाग फार्म नम्बर कर तीन प्रतियों के साथ जिस पर वही सील अंकित की जिसके द्वारा क्यू–646 नमूना सील बंद कर प्रार्थी ने अभिहित अधिकारी, नागौर को दिनांक 26-09-2014 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

2(6). यह है कि आवेदक को अभिहित अधिकारी, नागौर के द्वारा जांच रिपोर्ट एल.एस/546/एक्ट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

/2014/571 दिनांक 10-10-2014 दी गई। जिससे मालूम हुआ कि लिया गया नमूना क्यू–646 खाद्य पदार्थ क्लास एडीवल फेट ब्राण्ड "सुपर सालासर" का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने कारण मिस ब्राण्ड एवं सब स्टेण्डर्ड (Mis branded & Sub Standard) पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त हीरालाल ने एफ.एस. एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 02-03-2015 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री भगवानराम सारस्वत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 06.07.2015 को अपना जवाब पेश किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि एडीबल वेजीटेबल फेट 4 पैकेट मूल अवस्था में लिये लेकिन जैसे अजमेर से माल लाया वैसा ही मैने इनको दिया था। अजमेर शिव शंकर ट्रेडर्स से एडीबल ऑयल एवं बनस्पती परचेज किया था तथा रिपेकिंग किया है। जो रीपेकिंग का लाइसेन्स है। इसलिये जैसा माल आया। वैसा ही पैक कर तैयार किया है। एडीबल ऑयल मिलावटी नही है तथा मिस ब्राण्डेड भी नही है। अप्रार्थी ने कोई अपराधिक कृत्य नही किया है। अप्रार्थी के खिलाफ मामला बिल्कुल ही झूठा बनाया गया है। अप्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार का जुर्माना करने का आदेश दिया जाना न्याय संगत नही है। मामला खारिज फरमाया जाना चाहिये।

4. वकील अप्रार्थी की बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./546/एक्ट/2014/571 दिनांक 10-10-2014 के अनुसार खाद्य पदार्थ क्लास एडीवल फेट ब्राण्ड "सुपर सालासर" का नमूना मिस ब्राण्ड एवं सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय बिल दिनांक 24.9.14, फर्द रिपोर्ट दिनांक 24.9.14, नमूना खरीद बिल दिनांक 24.9.14 मौके की कार्यवाही के दौरान लिये गये है। जिन पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। जिससे नमूना अप्रार्थी के कारोबार स्थल से लिया जाना रिकार्ड से साबित है। उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थी द्वारा पेकिंग रूप से किसी अन्य फर्म से क्रय किया हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नही किया गया है। जवाब मनगढंत एवं काल्पनिक प्रतीत होता है। उक्त लिया गया नमूना सं. क्यू–646 उम्मेदसिंह वार्ड बॉय के साथ Food Analyst जोधपुर को भिजवाना उनकी रसीद दिनांक 26.9.14 से साबित है। एफएसएसए 2006 की धारा 26 (1) के अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता का यह कर्त्तव्य है कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार के अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती हो। जिसके तहत मिथ्या छाप वाली या अवमानक खाद्य पदार्थ स्वयं निर्माण, भण्डारण, विक्रय या वितरण नहीं करने अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं करवाये जाने को लेकर आज्ञापक प्रावधान है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप एवं सब स्टेण्डर्ड वाले खाद्य पदार्थ का वितरण/विक्रय किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा मिस ब्राण्ड एवं सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी हीरालाल पर 1,21,000/– अक्षरे रूपये एक लाख इक्कीस हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

5. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर